राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/2010 जयपुर, दिनांक : 9/12/10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान
समस्त राजस्थान।

विषयः– **वेज लिस्ट पर हस्ताक्षर करने के संबन्ध में दिशा निर्देश।**

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सभी जिलों में ई–मस्टररोल ही जारी किये जा रहे है, जिसमें श्रमिकों के नाम कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्ट करवा कर प्रत्येक कार्य पर जारी किये जाते है। पखवाडा पूर्ण होने के बाद संबन्धित कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य की माप कर श्रमिकों को दी जाने वाली राशि की गणना की जाकर संबन्धित कार्यकारी संस्था द्वारा मस्टररोल पारित कर विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के पास भुगतान हेतु भिजवायी जाती है। विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उसकी फीडिंग पंचायत समिति में ऑफलाईन सॉफ्टवेयर में कर कम्प्यूटराईज्ड वेज लिस्ट जारी की जाती है।

वेज लिस्ट जारी किये जाने के पश्चात इस पर हस्ताक्षर के लिये वेज लिस्ट पुनः कार्यकारी संस्था के पास सत्यापन पश्चात हस्ताक्षर हेतु भेजी जाती है। इस संबन्ध में **स्पष्ट किया** जाता है कि वेज **लिस्ट के सत्यापन के लिए पुनः इसे वापिस कार्यकारी संस्था के पास नही भेजना** है एव **ना ही इस पर कार्यकारी संस्था के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर कराए जाने है। लाईन विभागों सहित समस्त कार्यकारी संस्थाओं से संबन्धित वेज लिस्ट पर केवल पंचायत समिति के विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी तथा लेखा सहायक के हस्ताक्षर से ही भुगतान के लिए बैंक/पोस्ट ऑफिस में भेजा जाना है। यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

भवदीय
8/12/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन/सा.नि.विभाग/जल संसाधन विभाग।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान समस्त।
3. अधिशाषी अभियन्ता, समस्त राजस्थान।
4. ब्लाक कॉर्डिनेटर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान समस्त।
5. विकास अधिकारी एवं पदेन कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उपसचिव, ईजीएस